



राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 29, मंगलवार, साके 1940—नवम्बर 20, 2018

Kartika 29, Tuesday, Saka 1940-November 20, 2018

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 20, 2018

संख्या प. 23(2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट :—गर्भधारण—पूर्व और प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 57) की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त राक्षितों का प्रयोग करते हुये और इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 23(2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट दिनांक 06.06.2016 को अधिकमित करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 23(2)चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट दिनांक 01.07.2003 जितके द्वारा राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी, के क्रम संख्या 3 के लिये विधि विभाग का एक अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा ननोनीत) के रूप में श्री बी.एस. नन्दवाना, उप सचिव, विधि (वाद्करण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को ननोनीत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
अज्य अस्वाल,  
संयुक्त शासन सचिव।

433

राज्य केन्द्रीय मुद्रपालय, जयपुर।